क्रम-संख्या—246

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू. पी०—41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 4 सितम्बर, 2002

भाद्रपद 13, 1924 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 1611/सत्रह—वि—1—1 (क)-14-2002

लखनऊ, 4 सितम्बर, 2002

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2002 पर दिनांक 3 सितम्बर, 2002 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 2002 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इसं अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2002

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 2002)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2002 कहा जायगा।

(2) यह 21 जून, 2002 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1995 की धारा 4 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 में, उपधारा (1) में खण्ड (ख) और (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :—

"(ख) उपाध्यक्ष, अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों में से;

(ग) तीन अन्य सदस्य जिनमें से कम से कम एक अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से; और"

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2002 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 2002

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, धारा 1 में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
ए० बी० शुक्ला,
प्रमुख सचिव।

उद्देश्य और कारण

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग की स्थापना और उससे संबंधित और आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 4 में यह व्यवस्था थी कि उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से की जायगी और यह कि तीन अन्य सदस्यों में से एक सदस्य अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों में से होगा। उत्तरांचल राज्य के गठन होने के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की जनसंख्या नगण्य हो गयी है और इसलिए उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्यों में से एक सदस्य के पद पर अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों में से नियुक्त किये जाने का उक्त प्रावधान उचित नहीं था। अतएव, यह विनिश्चय किया गया कि उक्त अधिनियम को संशोधित करके यह व्यवस्था कर दी जाय कि उपाध्यक्ष के पद पर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को और उक्त आयोग के तीन अन्य सदस्यों में से एक सदस्य के पद पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः श्री राज्यपाल द्वारा दिनांक 21 जून, 2002 को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 2002) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

No. 1611(2)/XVII-V-1-1(KA)-14-2002
Dated Lucknow, September 4, 2002

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Anusuchit Jati Aur Anusuchit Jan Jati Ayog (Sanshodhan) Adhiniyam, 2002 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 4 of 2002) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 3, 2002 :–

THE UTTAR PRADESH COMMISSION FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES (AMENDMENT) ACT, 2002

(U. P. ACT NO. 4 OF 2002)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes Act, 1995.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-third year of the Republic of India as follows:–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Amendment) Act, 2002.

(2) It shall be deemed to have come into force on June 21, 2002.

Amendment of section 4 of U.P. Act No. 16 of 1995

2. In section 4 of the Uttar Pradesh Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes Act, 1995, in sub-section (1) *for* clauses (b) and (c) the following clause shall be *substituted*, namely:–

"*(b)* a Vice Chairman from amongst persons belonging to the Scheduled Castes;

(c) three other members out of which atleast one shall be from amongst persons belonging to the Scheduled Castes; or Scheduled Tribes; and"

Repeal and saving

U.P. Ordinance no. 5 of 2002

3. (1) The Uttar Pradesh Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Amendment) Ordinance, 2002 is hereby repealed.

(2) Notwithstandig such repeal, any thing done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
A. B. SHUKLA,
Pramukh Sachiv.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Act, 1995 has been enacted to establish a commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and for the matters connected therewith and incidental thereto. Section 4 of the said Act provided that the appointment to the office of Vice-Chairman should be made from amongst the persons belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes and that one member out of three other members should be from amongst persons belonging to the Scheduled Tribes consequent upon the constitution of the Uttranchal State the population of persons belonging to the Scheduled Tribes has been reduced to a negligible number in the State of Uttar Pradesh and as such the said provision for the appointment of persons belonging to the Scheduled Tribes to

the offices of the Vice-Chairman and one member out of three other members was not reasonable. It was, therefore, decided to amend the said Act to provide for the appointment of persons belonging to the Scheduled Castes to the office of the Vice-Chairman and from amongst persons belonging to the Scheduled castes or scheduled Tribes to the office of one member out of three other members of the said Commission.

Since the State legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Amendment) Ordinance, 2002 (U. P. Ordinance no. 5 of 2002) was promulgated by the Governor on June 21, 2002.

This Bill introduced to replace the aforesaid Ordinance.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 542 राजपत्र (हि०)–(1263)–2002–597–(कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 149 सा० विधायी–(1264)–2002–850–(कम्प्यूटर/आफसेट)।